न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–II, सिद्धार्थनगर।

उपस्थित– मनोज कुमार तिवारी–I (एच०जे०एस०)

UPSD010017292025

Criminal Revision/68/2025

विजय प्रकाश---------- बनाम ----------सरकार व अन्य

विजय प्रकाश उम्र करीब 59 वर्ष पुत्र रामलगन दूबे साकिन पिपरा थाना ढेबरुआ, जिला सिद्धार्थनगर।

---------निगरानीकर्ता

बनाम

1- सरकार उ०प्र०

2- ओमप्रकाश पुत्र रामलगन दूबे

3- विनोद पुत्र रामलगन दूबे

4- अखिलेश पुत्र स्व० वीरेन्द्र पाण्डेय

5- बालगोविन्द पुत्र राघव प्रसाद पाण्डेय

6- सतीश उपाध्याय पुत्र उमाशंकर उपाध्याय

-------विपक्षीगण----

दिनांक -14 /08/2026

1- प्रस्तुत दांडिक निगरानी, निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद सिद्धार्थ नगर द्वारा परिवाद संख्या-6345/2022 विजय प्रकार बनाम ओमप्रकाश आदि , थाना- ढेबरुआ, के मामले में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 30/05/2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गई है |

2- निगरानीकर्ता तथा विपक्षीगण संख्या- 2 ता 5 के विद्वान अधिवक्ता की मौखिक बहस सुनी। दांडिक निगरानी होने के कारण विपक्षी संख्या-1 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की मौखिक बहस भी सुनी।

3- विद्वान विचारण न्यायालय की मूल पत्रावली तलब होकर संलग्न है।

4- सुना तथा पत्रवाली का परिशीलन किया |

5- निगरानी दाखिल कर संक्षेप में निगरानीकर्ता के द्वारा यह कथन किया गया है कि उसकी माँ श्रीमती पुष्पावती उर्फ पुष्पा के कुर्सी से गिर जाने के कारण उनके चोटिल हो जाने के कारण सभी भाइयों के बीच संपत्ति के विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने हेतु दिनांक 23/06/2021 को निगरानीकर्ता के आवास पर गाँव के संभ्रांत व्यक्तियों की उपस्थिति में पारिवारिक समझौता हुआ परंतु उक्त समझौते को प्रधान पति श्री अखिलेश कुमार पांडेय ने अपने पास रख लिया और मांगने पर भाइयों ओमप्रकाश व विनोद कुमार तथा प्रधान पति ने निगरानीकर्ता को जान से मारने की धमकी देने के साथ गंदी गंदी गालियां दी। निगरानीकर्ता के अनुसार दिनांक 04/07/2021 को उसकी माँ की मृत्यु हो गई तथा गाँव वालों के माध्यम से उसे यह सूचना मिली कि उसके भाइयों ओमप्रकाश व विनोद ने अन्य विपक्षीगणों के साथ मिलकर उसकी माँ के उपचार कराने के बहाने फर्जी वसीयत करा ली है जिस पर पारिवारिक समझौते का प्रपत्र प्राप्त करने और फर्जी वसीयत करा लेने हेतु जब निगरानीकर्ता ने थाने में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया तो उसके भाई विनोद और ओमप्रकाश ने वसीयत रद्द कराने में रुपये 60,000/- का खर्च बताकर उससे पैसे ले लिए परंतु दो माह तक कोई कार्यवाही न होने पर जब निगरानीकर्ता ने उनसे पूछताछ की तो विपक्षीगण ने निगरानीकर्ता को गालियां देते हुए धक्का दे दिया

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.08.14 16:38:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तथा दस्तावेज वापस करने से मना कर दिए। निगरानीकर्ता के अनुसार विपक्षीगण द्वारा आपराधिक षड्यन्त्र कर निगरानीकर्ता के हिस्से की संपत्ति को हड़पने की गरज से आपसी पारिवारिक समझौता के दस्तावेज को अपने पास रख लिया गया तथा छलपूर्वक वसीयत करा ली गई व निगरानीकर्ता के साथ गाली गलौज करते हुए मार पीट कर जान से मारने की धमकी दिए जाने के कारण आपराधिक कृत्य प्रकट होने के बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिना परिवाद कथानक और साक्षियों के बयान पर गौर किए सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित कर निगरानीकर्ता के परिवाद को निरस्त किए जाने का आदेश पारित कर दिया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6- निगरानी के विरुद्ध विपक्षीगण द्वारा आपत्ति कागज संख्या-8 ख प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि निगरानीकर्ता झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं तथा वसीयतनामा दिनांकित 04/06/2021 के विरुद्ध उनके द्वारा दीवानी वाद संख्या- 327/2021 दाखिल किया गया है जो विचाराधीन है तथा निगरानीकर्ता द्वारा मात्र फर्जी आधारों पर मामले को फौजदारी स्वरूप देने की गरज से प्रश्नगत परिवाद दाखिल किया गया तथा निगरानीकर्ता के विचारण न्यायालय के समक्ष दिए बयान व साक्षियों के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिए बयान में कहीं भी गाली देने या मारने पीटने या जाने से मारने की धमकी दिए जाने का कोई कथन नहीं किया गया है आईसए में जबकि प्रकरण मात्र वसीयतनामे के निरस्तीकरण का है मामला मात्र दीवानी प्रकृति का होने के कारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उचित ही परिवाद निरस्त किए जाने का कथन करते हुए निगरानी निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

7- यह उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता परिवाद संख्या-6345/2022 विजय प्रकार बनाम ओमप्रकाश आदि , थाना- ढेबरुआ, का परिवादी है तथा उसके द्वारा परिवाद दायर कर यह कथन किया गया कि उसके भाइयों ओमप्रकाश व विनोद ने उसकी चोटिल माँ का इलाज कराने के बहाने से उनसे फर्जी वसीयत निष्पादित करा ली गई तथा भाइयों के बीच दिनांक 23/06/2021 को गाँव वालों के बीच तैयार किए गए आपसी पारिवारिक समझौते को रख लिया गया तथा मांगे जाने पर गाली गलौज और मार पीट की गई तथा पुलिस में शिकायत करने पर वसीयत निरस्तीकरण हेतु रुपये 60,000/- का खर्च बताकर निगरानीकर्ता से रुपये ले लिए गए परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई और पुनः घटना की तिथि को निगरानीकर्ता के साथ गालियां देते हुए धक्का दे दिया तथा दस्तावेज वापस करने से मना कर दिए।

8- विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी/निगरानीकर्ता के बयान अंतर्गत धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता दर्ज किए गए तथा परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के बयान अंतर्गत धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता दर्ज किए गए तथा धारा 202(1) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच कराए जाने के पश्चात परिवादी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रश्नगत आदेश पारित करते हुए यह निष्कर्ष देते हुए कि परिवादी और विपक्षीगण के मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति का विवाद है, परिवाद निरस्त कर दिया गया।

9- प्रस्तुत निगरानी में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या परिवाद कथानक के आधार पर पक्षकारों के बीच मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति का विवाद होना स्पष्ट होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा उचित ही परिवाद को निरस्त कर दिया गया है ?

10- परिवाद कथानक से यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता/परिवादी का अपने भाइयों के साथ पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद होने के कारण परिवादी पहले तो विवाद के निपटारे हेतु पहले तो दिनांक 23/06/2021 को गाँव वालों के बीच पारिवारिक समझौता तैयार कराए जाने का कथन करता है तथा माँ कि मृत्यु के पश्चात अपने भाइयों के पक्ष में निष्पादित प्रश्नगत वसीयत दिनांकित 04/06/2021 को निरस्त कराए जाने हेतु भाइयों को रुपये 60,000/- देने और अंततः भाइयों द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने पर रुपये और दस्तावेज की वापसी की बात कहने पर व विपक्षीगण द्वारा उसके साथ गाली गलौज और धमकी तथा धक्का देने की घटना कारित किए जाने का कथन करता है | इस प्रकार स्पष्ट है कि पक्षकारों के बीच मूल विवाद निगरानीकर्ता की माँ द्वारा विपक्षीगण 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा है जिसके निरस्तीकरण हेतु निगरानीकर्ता प्रयासरत है। विपक्षीगण की आपत्ति से यह स्पष्ट

है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत वसीयतनामा के निरस्तीकरण हेतु पहले से ही सिविल न्यायालय में दावा दायर किया जा चुका है तथा अपने परिवाद में निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि वसीयतनामे में उसकी माँ की हस्ताक्षर या निशानी अंगूठे के निशान नहीं हैं या कि वसीयतनामा उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात निष्पादित कराया गया ऐसे में वसीयतनामा विधि अनुरूप है या नहीं इसकी जांच हेतु सिविल न्यायालय को उचित क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जहां तक निगरानीकर्ता के साथ विपक्षीगण द्वारा निगरानीकर्ता को गालियां देते हुए धक्का देने तथा दस्तावेज वापस करने से मना कर देने की घटना का प्रश्न है इस संबंध में परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता में घटना की तिथि समय या स्थान के बारे में कोई कथन नहीं किया गया है तथा परिवाद के साक्षियों के बयान अंतर्गत धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता में भी ऐसा कोई कथन नहीं है कि विपक्षीगण ने साक्षियों के सामने परिवादी को गाली दी या जाने से मारने की धमकी दी। साक्षी pw-1 अपने बयान में ऐसा कोई कथन नहीं करते कि विपक्षीगण द्वारा परिवादी को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा साक्षी pw-2 मात्र यह कहते हैं कि विपक्षीगण परिवादी को गाली देते रहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता की माँ द्वारा निष्पादित कहे जा रहे कथित वसीयतनामे के विवाद को लेकर विपक्षीगण 2 व 3 पर दवाब बनाने की नियत से मात्र प्रकरण को फौजदारी रंग देने हेतु प्रश्नगत परिवाद दर्ज कराया गया तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उचित ही यह निष्कर्ष दिया गया है कि पक्षकारों के मध्य मूल रूप से दीवानी विवाद होने के कारण परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

11– सिविल प्रकृति के मामलों को दांडिक रंग देकर उन्हे विपक्षी पर दवाब बनाए जाने हेतु प्रकरण दर्ज कराये जाने की बढ़ती प्रवृत्ति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Anukul Singh vs State of U.P. and ors, CRIMINAL APPEAL NO. 4250 OF 2025 18. निर्णय दिनांकित SEPTEMBER 24, 2025 में यह स्पष्ट विधि प्रतिपादित की गई है कि "*Similarly, in Inder Mohan Goswami and another v. State of Uttaranchal and others AIR 2008 SC 251 , it was emphasized that criminal prosecution must not be permitted as an instrument of harassment or private vendetta. In Ganga Dhar Kalita v. State of Assam, (2015) 9 SCC 647 , this Court again reiterated that criminal complaints in respect of property disputes of civil nature, filed solely to harass the accused or to exert pressure in civil litigation, constitute an abuse of process. 19. Most recently, in Shailesh Kumar Singh @ Shailesh R. Singh v. State of Uttar Pradesh and others, Criminal Appeal No. 2963/2025 decided on 14.07.2025 : 2025 INSC 869 , this Court disapproved the practice of using criminal proceedings as a substitute for civil remedies, observing that money recovery cannot be enforced through criminal prosecution where the dispute is essentially civil.*"

12– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Amit Kapoor Vs. Ramesh Chander, (2012) 9 SCC 460, के मामले में यह स्पष्ट विधि प्रतिपादित की गई है कि "*Section 397 of the Code vests the court with the power to call for and examine the records of an inferior court for the purposes of satisfying itself as to the legality and regularity of any proceedings or order made in a case. The object of this provision is to set right a patent defect or an error of jurisdiction or law. There has to be a well– founded error and it may not be appropriate for the court to scrutinize the orders, which upon the face of it bears a token of careful consideration and appear to be in accordance with law. If one looks into the various judgments of this Court, it emerges that the revisional jurisdiction can be invoked where the decisions under challenge are grossly*

erroneous, there is no compliance with the provisions of law, the finding recorded is based on no evidence, material evidence is ignored or judicial discretion is exercised arbitrarily or perversely."

13- अतः स्पष्ट है कि पुनरीक्षण न्यायालय को पुनरीक्षण के निस्तारण के स्तर पर मात्र सीमित अधिकार प्राप्त है जिसके तहत वह विचारण न्यायालय की कार्यवाही या आदेशों की वैधता, औचित्य या नियमितता की जांच केवल तभी कर सकती है कि जबकि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष बिना किसी आधार के हों, महत्वपूर्ण साक्ष्य को नज़रअंदाज़ किया गया हो अथवा न्यायिक विवेक का इस्तेमाल मनमाने या गलत तरीके से किया गया हो। यह उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षण न्यायालय सबूतों के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर तथ्यों के नवीन निष्कर्ष दर्ज करने जैसे उद्देश्यों के लिए अपीलीय न्यायालय की तरह काम नहीं कर सकती।

14– अतः उपरोक्त समस्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत परिवाद का निस्तारण करते हुए यह उचित निष्कर्ष दिया गया है कि पक्षकारों के बीच मूल रूप से सिविल प्रकृति का विवाद प्रकट होने के कारण तथा प्रकरण के तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर कोई अपराध होना प्रकट न होने के कारण विपक्षीगण 2 ता 5 को विचारण हेतु तलब किए जाने के आधार पर्याप्त नहीं है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 30/05/2025 पुष्ट किए जाने योग्य है तथा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

15– प्रस्तुत दांडिक निगरानी निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 30/05/2025 पुष्ट किया जाता है। इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय की मूल प्रति में संलग्न कर वापस की जाए तथा निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 14/08/2026

(मनोज कुमार तिवारी–I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी. द्वितीय, सिद्धार्थनगर।
J.O. CODE–UP 1736

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

(मनोज कुमार तिवारी–I)

दिनांक– 14/08/2026

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी. द्वितीय, सिद्धार्थनगर।
J.O. CODE–UP 1736